न्यायालय माननीय प्रशासनिक सदस्य, राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर

निगरानी 478-I-15

प्र.क्र. आर--- /818 /2015/टीकमगढ़

भागीरथ पुत्र श्री भरोसे ढीमर

निवासी ग्राम लिधौरा तहसील लिधौरा

जिला टीकमगढ़. म.प्र0 - पार्थी

बनाम

1 श्रीमती लाडकुवर पत्नी श्री तुलई

निवासी ग्राम लिधौरा तहसील

लिधौरा, जिला टीकमगढ़

2- म.प्र. शासन- प्रतिपार्थी

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध श्रीमान राजस्व निरीक्षक न्यायालय तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ आदेश दिनांक 20-10-14 पारित प्र.क्र. 1/अ-12/14-15 अन्तर्गत धारा 50 रे.को.

श्रीमान जी,

प्रार्थी कीओरसे निगरानी प्रार्थनापत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का सीमाकन आदेश संहिता मे प्रयोज्य की जाने वाली विधि प्रक्रिया के प्रकाश मे अनियमित तथा अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यहकि, ग्राम लिधौरा उगड के सर्वे क0431/1 रकबा 1.619 है0 के सीमांकन किये जाने के पूर्व आस पास लगे सर्वे क्र0 432/2 के अलावा अन्य सर्वे क्र0 के सरहदी कृषकों को सूचना दिये बिना उनकी उपस्थिति मे स्थल पर प्रार्थी द्वारा सीमाकन कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा निर्णयो मे पारित विधिक सिद्धान्तो केअनुसार नहीहोनेसे निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-478-एक/2015 जिला टीकमगढ़ भागीरथ विरूद्ध लाडकुंवर व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक लिधौरा के प्रकरण क्रमांक 1/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 20-10-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी लिधौरा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी लिधौरा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	